

संख्या- 06 / जन्नीस(9) / 38-2(87पेज) / 2018

प्रोपक,

जी0वी0 ओली

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

समा में

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तराखण्ड पेयजल निगम,

देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2020

विषय :- नाबार्ड की RIDF-XXV (फैस-05) के अंतर्गत वित्त पोषित 10 नयी पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, वित्त अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1071/01(110)/XXVII(1)/2016 दिनांक 01 जनवरी, 2020 एवं नाबार्ड के पत्र संख्या-2534/ RIDF-XXV(Uttarakhand)/50th ISC-19-11-2019 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड RIDF-XXV (फैस-05) के अंतर्गत 10 पेयजल योजनाओं का वित्त पोषण किये जाने हेतु अनुमोदित लागत रु0 6149.67 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष, 2019-20 में संलग्न तालिका के कालम संख्या-07 के अनुसार 30 प्रतिशत एडवांस मोबलाइजेशन की धनराशि रु0 1844.90 लाख (रु0 अठारह करोड़ चौवालिस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- अनुमोदित कार्ययोजना नाबार्ड की गाईड लाईन एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों का अनुपालन करते हुए समयान्तर्गत पूर्ण की जाय।
- मोबलाइजेशन हेतु स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग एवं व्यय तथा कार्य योजना की प्रगति आख्या आगामी किश्त लेने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जाय।
- यदि कार्य योजना के तकनीकी पहलुओं पर किसी प्रकार की तकनीकी जाँच की आवश्यकता हो तो, कार्य योजना प्रारम्भ होने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार धनराशि व्यय की जाय। संशोधित कार्य योजना एवं पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
- कार्य योजना विवादित होने की स्थिति में तत्काल वित्त विभाग को अवगत कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

Photo copy Attested

21.2.20

उत्तराखण्ड पेयजल सेवाएँ विकास
एवं निगम निगम
मोबलाइज (सेवाएँ)

- (X) कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड पर नाबार्ड से प्रोजेक्ट वित्त पोषित -स्वीकृत धनराशि रु०, कार्य की समयावधि सहित कार्यकारी इकाई का नाम अंकित किया जायेगा। प्रोजेक्ट कार्य की मासिक प्रगति की वीडियो ग्राफी करते हुए नियमित अन्तराल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- (xi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV.219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xiii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा-निर्देशों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (xiv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 01- जलापूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 98 नाबार्ड वित्त पोषित - 01- नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं हेतु अनुदान- 24 वृहद निर्माण मद के नामें डाला जायेगा।
3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 20020130040 दिनांक 17 फरवरी, 2020 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 133/ XXVII(2)/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(जी०बी० ओली)
अपर सचिव

पू० संख्या- /उन्तीस(2)/20-2(262 पे०)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4-निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
- 6-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7-बजट निदेशालय, देहरादून।
- 8-वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
- 10 प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 42- आई०टी० पार्क राहस्रधारा रोड, देहरादून।
- 9-सीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10-गार्ड फाईल।

Photo copy attested

29.9.20

सहायक अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड वैयक्तिक संसाधन विकास

एवं निर्माण निगम

धीमताल (नैनीताल)

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव